>

Title: Need to treat village instead of Taluk as the criteria for giving compensation under National Crop Insurance Scheme.

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): भारत सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदा से राहत दिलाने के लिए कई योजनायें लागू की हैं, जिसमें राष्ट्रीय फसल बीमा योजना भी एक है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को मदद दिये जाने का प्रावधान है। परन्तु, इसका आंकलन एवं अनुमान एक पूरे ताल्लुका स्तर पर लगाया जाता है। अगर ताल्लुका क्षेत्र के कुछ ही भाग में प्राकृतिक आपदा का प्रकोप रहा है तो प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाती है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोग इस प्राकृतिक आपदा से मिलने वाली राहत सुविधा से वंचित हो जाते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा के ताल्लुक में कई गांव प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होते हैं, परन्तु उन गांवों के किसानों को इस सुविधा से लाभ नहीं मिल पाता है। राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना का प्रावधान इस तरह से होना चाहिए, जिससे अगर प्राकृतिक आपदा से अगर एक गांव के लोग ही प्रभावित हैं तो उनको भी राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अंतर्गत सहायता दी जानी चाहिए न कि एक ताल्लुका को आधार बनाकर।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि किसानों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर किसी क्षेत्र को आधार नहीं बनाया जाये बल्कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसान का आधार बनाये जाने का प्रावधान बनाया जाना चाहिए।